



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- भरतपुर में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग का कनिष्ठ सहायक 2 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तेलाशी जारी

जयपुर, 09 सितम्बर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भरतपुर इकाई द्वारा आज गुरुवार को कार्यवाही करते हुये केहरी जाट कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, भरतपुर को परिवादी से 2 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मकान की रजिस्ट्री कराने एवं स्टाम्प ड्यूटी कम करने की एवज में केहरी जाट कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, भरतपुर द्वारा 2 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भरतपुर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री नवल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये केहरी जाट पुत्र श्री रामवीर निवासी रायसीस, पुलिस थाना नदबई, जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, भरतपुर को परिवादी से 2 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।